राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 144वीं बैठक के कार्यवृत्त

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम की कार्यवाही के चलते भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दिसंबर, 2019 तिमाही की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 144वीं बैठक के कार्यबिन्दु समस्त हितग्राहियों को कार्यसूची बिन्दु प्रसारित कर (Agenda by Circulation) बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 144वीं बैठक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

एसएलबीसी, राजस्थान के पत्रांक ज.अं./एसएलबीसी/2019-20/2047 दिनांक 26.03.2020 के माध्यम से समस्त हितग्राहियों को कार्यसूची बिन्दु एवं पीपीटी प्रजेंटेशन प्रसारित किया गया है एवं 30 मार्च, 2020 तक समस्त हितग्राहियों से कार्यसूची बिन्दु पर अपनी टिप्पणी प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 144वीं बैठक के कार्यबिन्दु एवं हितग्राहियों से प्राप्त टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **143**वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने हेतु अनुरोध है.
एसएलबीसी राजस्थान की टिप्पणी : एसएलबीसी के हितधारकों से **143**वीं बैठक कार्यवृत्त में कोई भी संशोधन के लिए अनुरोध अथवा टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है अतः 143वीं बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया जाता है।

एजेण्डा क्रमांक - 2

Revamp of Lead Bank Scheme

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में सुधारों के लिए दिए गए सुझावों की अनुपालना हेतु समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध है जिसमें से मुख्य कार्यवाही बिन्दु निम्नानुसार हैं:

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए केन्द्रित होगी एवं उक्त बैठक में बैंकों/ विभिन्न सरकारी विभागों के केवल राज्य प्रमुख अथवा उसके समकक्ष वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही सहभागिता की जावेगी.
- नियमित मुद्दों पर चर्चा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक में की जाएगी.
- राज्य की समस्त बैंक शाखाओं/क्षेत्रीय/प्रशासनिक कार्यालय के व्यावसायिक लक्ष्य वार्षिक साख योजना (ACP) के साथ संरेखित (align) कर निर्धारित किए जाने चाहिए.

  (कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)
- अग्रणी जिला प्रबन्धक की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अपेक्षित कौशलयुक्त अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए.

- अग्रणी जिला कार्यालय हेतु अलग कार्यालय स्थान एवं एलडीएम द्वारा अपनी मुख्य जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे कंप्यूटर, प्रिन्टर एवं डेटा कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए.
- साथ ही एलडीएम को अलग से एक वाहन भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए.
- एलडीएम कार्यालय में डेटा प्रविष्टि/ विश्लेषण हेतु कर्मचारी की कमी के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है. अतः एलडीएम को कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: कुछ अग्रणी जिला कार्यालयों में पर्याप्त स्टाफ एवं वाहन सुविधा उपलब्ध होने से उनके कार्यालय को सूचित किया गया है लेकिन वास्तव में उक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो कि अनुचित है। समस्त डीसीसी संयोजक बैंकों को निर्देशित किया कि अग्रणी जिला कार्यालयों में भारतीय रिज़र्व बैंक के अग्रणी बैंक योजना के मास्टर परिपत्र के पैरा 2.2.4 के अनुसार निर्धारित सुविधाएं दिलवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(समस्त : डीसीसी संयोजक बैंक, राजस्थान)

विभिन्न उपसमितियों के आयोजन का विवरण निम्नानुसार है:-

उपसमिति	**बैठक की दिनांक**
1. वित्तीय समावेशन	20.01.2020
2. डिजिटल भुगतान	20.01.2020
3. एसएलबीसी वेबसाइट पर डेटा प्रवाह के लिए मानकीकृत प्रणाली का विकास	20.01.2020
4. एसएचजी/जेएलजी/एफ़पीओ	21.01.2020
5. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	21.01.2020
6. कृषि योजनाओं से संबन्धित तथा फसल की अवधि निर्धारण	05.02.2020
7. एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	06.02.2020
8. बकाया ऋण वसूली	Awaited

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 144वीं बैठक के कार्यबिन्दु तैयार करने हेतु स्टियरिंग समिति की 8वीं बैठक दिनांक 05.03.2020 को आयोजित की गयी।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 3</u>

<u>Key Business Parameters</u>

31 दिसंबर, 2019 तक राज्य में कुल 8,061 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं. वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसंबर तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 151 शाखाएं खोली गयी हैं।

जमाएँ व अग्रिम: 31 दिसंबर, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.03% के साथ कुल जमाएँ राशि रू 4,25,248 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.93% के साथ कुल ऋण राशि रूपये 3,52,168

करोड़ रहे हैं। जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 10.43%, 15.00%, 6.92% एवं 52.11% रही है तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 11.44%, 10.19% एवं 32.18% रही है तथा सहकारी बैंकों में नकारात्मक वृद्धि 17.96% रही. राज्य का साख जमा अनुपात 85.16% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से काफी उपर है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: उपरोक्त जमाओं एवं अग्रिमों के प्रदर्शन पर सन्तोष व्यक्त किया।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 दिसंबर, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 7.69% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रू 2,25,177 करोड़ रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 दिसंबर, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 3.90% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,06,744 करोड़ रहा है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: 31 दिसंबर, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 6.37% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 80,090 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 31 दिसंबर, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 16.48% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 76,917 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 31 दिसंबर, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 6.90% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 15,976 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** के अग्रिम 63.94%, कृषि क्षेत्र को 30.31%, कमजोर वर्ग को 21.84%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 14.40% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 11.76% रहा है.

राजस्थान के नजदीकी राज्य उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के 31 दिसम्बर, 2019 के साख जमा अनुपात (CD Ratio) के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषजनक पायी गयी. राज्य के सभी बैंकर्स एवं अन्य सभी हितग्राहियों को इसके लिए बधाई दी.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 4</u>

<u>Unbanked Rural Centres (URC)</u>

दिनांक 18.10.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उप समिति (वित्तीय समावेशन) बैठक के दौरान समीक्षा में पाया कि राज्य में 5 किमी परिधि में बैंक रहित 1136 गांवो से से दिनांक 31.12.2019 तक 45 गांवों में बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराना शेष रहा है।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पुनः ई-मेल दिनांक 21.02.2020 के माध्यम से 5 कि.मी. परिधि में बैंकरहित 242 गांवों की सूची प्रदान की गयी है जिसमें से दिनांक 28.02.2020 तक 231 गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना शेष है

उपरोक्त 231 गांवों में से दिनांक 21.03.2020 तक 158 गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना शेष है एवं संबन्धित समस्त बैंकों का उक्त बैंक रहित गांवो में बैंकिंग टच पॉइंट यथा बैंक शाखा, एटीएम, बैंक मित्र इत्यादि स्थापित करने व उक्त बैंकिंग टच-पॉइंट की सूचना जन-धन दर्शक वेब पर अद्यतन करने के लिए निर्देशित किया है।

दिनांक 21.03.2020 तक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 5 कि.मी. परिधि में बैंकरहित शेष रहे 158 गांवों में से इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा 44 बैंक रहित गाँव में ग्रामीण डाक सेवक के द्वारा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कारवाई जा रही है लेकिन यह 5 कि.मी. परिधि से अधिक दूरी पर स्थिति है। अतः वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार अग्रणी जिला प्रबन्धकों को द्वारा उक्त प्रकरण पर जांच कर रिपोर्ट एसएलबीसी को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित एवं प्रतीक्षित है।

(कार्यवाही : इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक एवं संबन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजस्थान)

बैठक के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टिप्पणी : दिनांक 21.03.2020 तक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 5 कि.मी. परिधि में बैंकरहित शेष रहे 158 गांवों में से भारतीय स्टेट बैंक को 89 बैंक रहित गाँव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आवंटित किए गए है जिसमें शीघ्र बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश प्रदान किए ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान में 71 केन्द्रों पर BCs द्वारा विभिन्न कारणों से CSP लगाने में असमर्थ है तथा एसएलबीसी के माध्यम से वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया जा चुका है व भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा संबन्धित जिला कलेक्टर का पत्र प्राप्त किया जाना लंबित है। शेष बैंक मित्र लगाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से सूचित किया है।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 5 कि.मी. परिधि में बैंकरहित 158 गांवों में से 12 बैंक रहित गाँव पीएनबी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आवंटित किए गए है। जिसमें से 12 केन्द्रों पर BC को चिन्हित कर लिया है एवं शेष केन्द्रो पर बैंक मित्र लगाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया है।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 5 कि.मी. परिधि में बैंकरहित 231 गांवों में से 35 बैंक रहित गाँव बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आवंटित किए गए है। जिसमें से 30 केंद्र पर बीसी नियुक्त कर दिए गए है। शेष रहे 158 गांवों में 5 केन्द्रों पर बैंक मित्र लगाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है से बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सूचित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 231 बैंकरहित गांवों की सूची दिनांक 28.02.2020 को प्रेषित की है जिसमें से 158 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाना शेष है। उन्होने समस्त बैंकों को निर्देशित किया है कि उक्त गांवों को जल्द से जल्द कवर कर जन धन दर्शन एप पर अपलोड करें। जिन गांवों की जनसंख्या नगण्य है अथवा बीएसएफ़ द्वारा आवागमन बाधित है उनकी सूची एसएलबीसी द्वारा वित्तीय सेवाएँ विभाग को प्रेषित की जावे।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

एसएलबीसी राजस्थान की टिप्पणी : जिन गांवों की जनसंख्या नगण्य है अथवा बीएसएफ़ द्वारा आवागमन बाधित है उन गांवों में वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार संबन्धित जिला कलेक्टर से इस संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से छूट प्राप्त की जा सके।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

नाबार्ड की टिप्पणी: नाबार्ड द्वारा एफ़आईएफ़ के तहत वाणिज्यिक बैंक (Including SFB), आरआरबी एवं सहकारी बैंक को क्रमशः राशि रू 4.02 करोड़, राशि रू 1.92 करोड़ एवं राशि रू 8.47 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है। बैंकों से अनुरोध किया कि एफ़आईएफ़ (FIF) के तहत नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि लेने हेतु निर्धारित प्रारूप में क्लेम प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>अटल पेंशन योजना</u>

अटल पेंशन के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. जिसका विवरण निम्नानुसार है :

	Progress as on 29.02.2020						
	Type of Bank	Name of Banks	No. of Branches	Target (Per Branch)	Total Target	Ach. Up to 29.02.2020	% Ach.
Atal Pension Yojana: DFS, MoF, GoI, vide their letter no. file no. 16/7/2015-PR(PT) dated 22.04.2019 and PFRDA vide e-mail dated 24.04.2019 had informed target for the F.Y. 2019-20 based on the number of branches of each bank	PSB		4213	60	252780	197784	78.24
	Private	HDFC, Axis, ICICI	835	60	50100	9716	19.39
		Other Private Banks	659	30	19770	1390	7.03
	RRB		1552	50	77600	67806	87.38
	Co-Op.		462	20	9240	6	0.06
	Small Finance Bank		216	50	10800	17	0.16
	State as a Whole		7937	270	420290	276719	65.84
	* Data received from PFRDA						

राज्य में कुल 4,20,290 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 29.02.2020 तक 2,76,719 नामांकन की उपलब्धि है जो कि 65.84% रही है. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं स्माल फाइनेंस बैंक की उपलब्धि क्रमशः 6 एवं 17 है जो कि 0.06% एवं 0.16% उपलब्धि है एवं बेहद चिंतनीय है।

(कार्यवाही : राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं स्माल फाइनेंस बैंक)

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: निजी बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फ़ाईनेन्स बैंकों की अटल पेंशन योजना के तहत प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया एवं निर्देश प्रदान किए कि आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: निजी बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फ़ाईनेन्स बैंक, राजस्थान)

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY के तहत दिनांक 29.02.2020 तक कुल 15,806 क्लेम दायर किए गए जिसमें से 14,279 क्लेम का भुगतान कर दिया गया है। बीमा कंपनी के पास 234 क्लेम लंबित हैं, 65 क्लेम प्रक्रियाधीन हैं एवं 1228 क्लेम अस्वीकृत किए गए हैं। उक्त रिजेक्टेड क्लेम्स का विवरण एसएलबीसी द्वारा समस्त संबन्धित बैंको से साझा कर दिया गया हैं।

एसएलबीसी राजस्थान की टिप्पणी : उक्त क्लेम्स की निगरानी के लिए बैंको में नियुक्त नोडल अधिकारी को क्लेम्स की गहन निगरानी रखने के लिए समस्त बैंको से अनुरोध है।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>Identification of one Digital District-</u>

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के महत्वाकांशी जिलों में से एक जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है। इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा उप समिति- डिजिटल भुगतान का गठन कर प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 18.10.2019 को किया गया एवं करौली जिले में भी डीएलसीसी की उपसमिति का गठन कर दिनांक 14.11.2019 को बैठक आयोजित की गयी।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु दिनांक 29.11.2019 को समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें हुई चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- दिनांक 09.12.2019 से 16.12.2019 तक बैंकों द्वारा डिजिटल जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा।
- प्रत्येक बैंक शाखा को न्यूनतम 5 पीओएस मशीन लगाने का लक्ष्य प्रदान किया गया।
- प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, भीम एप एवं क्यूआर कोड अधिकाधिक लोगों को प्रदान किए जावेंगे। प्रत्येक शाखा द्वारा दिसंबर, 2019 से डिजिटलीकरण की प्रगति प्रत्येक माह न्यूनतम 10% की दर से बढ़नी चाहिए।
- बैंक शाखा द्वारा प्रत्येक खाते में मोबाइल नंबर अद्यतित किया जाना चाहिए।

- प्रत्येक शाखा द्वारा 100% केशलेस लेनदेन करने के लिए स्कूल एवं कॉलेज को चयनित किया जावे।
- जिले के विभिन्न भागों में नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, पपेट शो, क्विज़, शैक्षिक और प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए जावें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

बैठक के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टिप्पणी : महत्वाकांक्षी करौली जिलें को एक वर्ष के समय में 100% डिजिटल करने की कार्यवाही के लिए समस्त बैंकों को निर्देश प्रदान किए।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी : डिजिटल भुगतान की आगामी उप समिति बैठक के एजेंडा में भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं FIDD.CO.LBS No.475/02.01.001/ 2019-20 दिनांक 27.08.2019 में वर्णित अनुलग्नकों को सम्मिलित किए जाने के निर्देश प्रदान किए

करौली जिले के डिजिटाईजेशन हेतु समन्वय समिति की द्वितीय बैठक लॉकडाउन के बाद आयोजित किए जाने के लिए आश्वस्त किया ।

एसएलबीसी राजस्थान की टिप्पणी : करौली जिलें में संचालित सरकारी विभागों, विध्यालय, महा विध्यालय, अस्पतालों इत्यादि में नगद में हो रहे लेन-देन को कम से कम करने एवं डिजिटल माध्यम से लेन-देन करने के लिए संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है।

साथ ही राज्य स्तर एवं करौली जिला स्तर पर राज्य सरकार के नोडल अधिकारी नियुक्त करने हेतु भी अनुरोध है ताकि डिजिटलाइजेशन में हुई प्रगति की नियमित निगरानी की जा सके।

(कार्यवाही : सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 5</u>

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति:

वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 1,71,643 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिसम्बर, 2019 तिमाही तक राशि रू 1,18,683 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि 69.15% उपलब्धि है. कृषि में 63.24%, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में 89.22% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 43.49% की उपलब्धि दर्ज की गई है. वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष दिसम्बर, 2019 तिमाही तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने

75.31%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 69.32%, सहकारी बैंक ने 29.55% तथा स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 104.49% की उपलब्धि दर्ज की है।

वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक (6.98%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (17.94%), आईडीबीआई बैंक (24.80%), पंजाब एंड सिंध बैंक (27.16%), इंडियन बैंक (29.06%), आरएससीबी (30.41%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (33.81%), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (38.75%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (42.62%), यूको बैंक (43.84%), यूनाइटेड बैंक (47.50%), ईलाहबाद बैंक (49.07%) है। उक्त बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए समस्त बैंकों से अनुरोध किया.

बैठक के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टिप्पणी : वार्षिक साख योजना के तहत लक्ष्यों के सापेक्ष 69.15% उपलब्धि में कृषि क्षेत्र की उपलब्धि केवल 63.24% उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त किया । वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की उपलब्धि क्रमशः 75.31% एवं 69.32% है एवं सहकारी बैंकों की उपलब्धि केवल 29.55% है जिस पर उन्होने चिन्ता व्यक्त की।

(कार्यवाही : आरएससीबी एवं आरएसएलडीबी)

वार्षिक साख योजना के तहत सहकारी बैंकों की उपलब्धि की नियमित निगरानी के लिए नाबार्ड एवं राजस्थान सरकार से अनुरोध है ।

(कार्यवाही : नाबार्ड एवं सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार)

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी : वार्षिक साख योजना के तहत लक्ष्यों के सापेक्ष 69.15% उपलब्धि अपेक्षानुरूप नहीं बताया एवं समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि आगामी वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत उपलब्धि हेतु प्रयास करें। **(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

नाबार्ड की टिप्पणी: नाबार्ड द्वारा वर्ष 2020-21 के स्टेट फॉकस पेपर का दिनांक 22.01.2020 को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा विमोचन किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण राशि रू 2,11,659 करोड़ अनुमान किया है जिसमें से कृषि क्षेत्र के ऋण के लिए राशि रू 1,38,434 करोड़ का अनुमान किया है

वार्षिक साख योजना के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के साथ साथ कृषि क्षेत्र के आवंटित लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करे एवं कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सावधि ऋण पर ज़ोर दिये जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजस्थान)

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>

एनआरएलएम योजनांतर्गत दिनांक 31.01.2020 तक राज्य में 406 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) एवं ग्राम संगठन (VO) 11,721 कार्यरत है। उक्त संगठनो के तहत 1,58,599 एसएचजी कार्यशील है जिसमें से 61,932 एसएचजी को वित्तपोषित किया जा चुका है।

एनआरएलएम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित 55,777 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 26.02.2020 तक 46,065 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज किया गया है जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 82.59% उपलब्धि है.

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी : एनआरएलएम योजनांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक एवं सहकारी बैंकों की प्रगति अच्छी नहीं रहने के कारण लक्ष्य प्राप्ति नहीं की जा सकी है। समस्त बैंकों से कम प्रगति रहने के कारणों की समीक्षा करने का अनुरोध किया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने स्तर पर समीक्षा करें कि आवंटित लक्ष्य राशि के सापेक्ष उपलब्धि मात्र आधी रही है।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक)

दिनांक 02.12.2019 को आयोजित राज्य बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु (ATR)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यदि पात्र एसएचजी की संख्या लक्ष्य से अधिक होगी तब ही बैंकों द्वारा उन्हे ऋण प्रदान किया जावेगा क्योंकि मात्र लक्ष्य प्राप्ति ही बैंकों का ध्येय नहीं है। एनआरएलएम के एसएचजी की अच्छी वसूली प्रक्रिया होने के कारण बैंकों के समक्ष एनपीए होने का जोखिम भी नगण्य है। साथ ही उन्होने सुझाव दिया कि एसएलबीसी की आगामी उप समिति में श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Do&IT), राजस्थान सरकार को special invitee के रूप में आमंत्रित किया जावे।

वर्तमान स्थिति -समस्त बैंकों ने लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि के साथ साथ उससे भी अधिक करने के लिए प्रयासरत रहने से सूचित किया है एवं दिनांक 21.01.2020 को आयोजित एसएलबीसी की उपसमिति (एसएचजी/जेएलजी/एफ़पीओ) की बैठक में प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भी आमंत्रित किया गया।

दिनांक 02.12.2019 को आयोजित राज्य बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु (ATR)

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उनके बैंक को बहुत कम मात्रा में एसएचजी के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होने राजीविका से अनुरोध किया कि पर्याप्त मात्रा में आवेदन उपलब्ध करवाए जाएँ। उन्होने लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि हेतु आश्वासन प्रदान किया।

वर्तमान स्थिति - दिनांक 26.02.2020 तक एनआरएलएम योजनान्तर्गत 5,230 एसएचजी को वित्त पोषित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 1,889 एसएचजी को वित्त पोषित किया जा चुका है जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 36.11% उपलब्धि है एवं यह बेहद चिंतनीय है।

<u>स्वयं सहायता समूह (SHG)</u>

दिसंबर, 2019 तक समस्त सदस्य बैंकों द्वारा 3,42,362 एसएचजी के बचत खाते खोले गए है तथा 81,572 एसएचजी को क्रेडिट लिंक किया गया है एवं राशि रू 645.32 करोड़ का ऋण बकाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: बैंकों द्वारा 24% स्वयं सहायता समूहों का ही क्रेडिट लिंकेज किया गया है। क्रेडिट लिंकेज का प्रतिशत बढ़ाने हेतु बैंकों को निर्देशित किया ।

नाबार्ड की टिप्पणी: नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों के बचत खाते व क्रेडिट लिंकेज के वर्ष 2019-20 एवं दिसम्बर 2019 तक के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि स्वयं सहायता समूहों के बैंक बचत खाते में जमा राशि बैंक बकाया ऋण से अधिक है।

नाबार्ड द्वारा ई- शक्ति योजना को राज्य के अतिरिक्त 7 जिलों में प्रारम्भ कर दिया है एवं अब राज्य के कुल 16 जिलों में लागू हो गया है। बैंकों में संधारित एसएचजी के बचत को पात्रतानुसार 100% एसएचजी को क्रेडिट लिंक करने एवं ई- शक्ति पोर्टल के माध्यम से भी एसएचजी को क्रेडिट लिंक करने की कार्यवाही करने हेतु समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध किया।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत दिनांक 18.02.2020 तक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत 9041 के लक्ष्य है. जिसमें से 7055 व्यक्तियों, 414 समूहों एवं 1572 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 18.02.2020 तक उपलब्धि क्रमशः 825, 50 एवं 346 रही है.

उक्त योजनांतर्गत बैंकों को प्राप्त होने वाले आवेदनों का गुणवत्ता स्तर अच्छा नहीं होने एवं एक केंद्र पर समान प्रकार के व्यवसाय हेतु कई आवेदन प्राप्त होने की दशा में सभी आवेदन स्वीकृत करना संभव नहीं हो पाता है, जो कि लक्ष्य से कम प्रगति रहने का प्रमुख कारण है। साथ ही बैंकों को पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं.

दिनांक 21.01.2020 को आयोजित एसएलबीसी की उपसमिति (केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं) के बैठक के दौरान चर्चा मेँ पाया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के 10 माह समाप्ति पर भी पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है इस संबंध मेँ बैंकों द्वारा अनुरोध किया गया कि योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों को 25% किए जाएं।

डे-एनयूएलएम विभाग के पोर्टल के बारे में एसएलबीसी एवं बैंकों को विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गयी है. इस पर उन्होने सुझाव दिया कि आगामी एसएलबीसी की उपसमिति की बैठक में पोर्टल के बारे में समस्त बैंकों को विस्तृत जानकारी प्रदान करें एवं बैठक के पश्चात पोर्टल के बारे में पत्र के माध्यम से एसएलबीसी को अवगत करवाए ताकि समस्त सदस्य बैंकों को इस संबंध में अवगत करवाया जा सके.

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही करें एवं समस्त बैंकों को निर्देशित किया कि योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जावे।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>

पीएमईजीपी के तहत वर्ष 2019-20 के लिए राज्य में समस्त बैंकों को आवंटित लक्ष्य राशि रू 101.94 करोड़ (मार्जिन मनी) के सापेक्ष दिनांक 04.03.2020 तक राशि रू 74.41 करोड़ (sanction) उपलब्धि रही है जो कि 72.99% है एवं 2,820 आवेदन पत्र लंबित है जिनका शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध है।

दिनांक 02.12.2019 को आयोजित राज्य बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु (ATR) - वर्तमान स्थिति
पीएमईजीपी योजनान्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक को आवंटित लक्ष्य राशि रू 20.98 करोड़ (मार्जिन मनी) के सापेक्ष दिनांक 02.03.2020 तक राशि रू 9.83 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि 46.89% उपलब्धि है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक को निर्देशित करने के पश्चात एवं राज्य में भारतीय स्टेट बैंक की राज्य में सर्वाधिक शाखाएँ होने के बावजूद योजनान्तर्गत प्रगति में सुधार नहीं हुआ है। उन्होने एसएलबीसी को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत आशानुरूप प्रगति नहीं है उसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान कार्यालय को पत्र प्रेषित कर सूचित करे। **(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक, राजस्थान)**

एसएलबीसी राजस्थान की टिप्पणी : एसएलबीसी राजस्थान द्वारा नियमित रूप से समस्त बैंकों से योजनान्तर्गत प्रगति के लिए अनुवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में बैंक के आकार को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक व आरएमजीबी को अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से योजनान्तर्गत धीमी प्रगति को बढ़ाने के लिए निर्देशित करने के पश्चात भी आशानुरूप प्रगति नहीं है। दिनांक 02.03.2020 तक पीएमईजीपी योजनान्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक व आरएमजीबी को आवंटित लक्ष्य राशि रू 20.98 करोड़ व राशि रू 6.70 करोड़ (मार्जिन मनी) के सापेक्ष उपलब्धि क्रमशः राशि रू 9.83 करोड़ व राशि रू 0.98 करोड़ रही है जो कि 46.89% व 14.65% उपलब्धि रही है जो कि बेहद चिन्ताजनक है ।

दिनांक 02.03.2020 तक पीएमईजीपी योजनान्तर्गत इलाहाबाद बैंक 19.49%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 13.89%, आईसीआईसीआई बैंक 12.63%, आईडीबीआई बैंक 31.89%, सिंडीकेट बैंक 26.59% एवं इंडियन बैंक

23.10% उपलब्धि है जो भी आशानुरूप नही है। समस्त बैंकों से अनुरोध है कि आगामी वर्ष के आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

Special Central Assistance Scheme SC/ST

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 17,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.01.2020 तक मात्र 4191 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 24.65% उपलब्धि है.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 17,000/3,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.01.2020 तक क्रमशः 4,191/76 प्रार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 24.65% एवं 2.53% उपलब्धि है। उक्त योजनांतर्गत 12,942/619 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं एवं 8,274/456 आवेदन पत्र लंबित है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 24.65% उपलब्धि के लिए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त योजनांतर्गत प्रगति बढ़ाने के लिए समस्त बैंकों को निर्देशित किया ताकि कमजोर वर्ग (Weaker Section) को लाभान्वित किया जा सके ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 9,854.02 करोड़ के लक्ष्य आवंटित किए गए जिसके सापेक्ष रु. 9,785.50 करोड़ के ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 99.30 की उपलब्धि है। भारत सरकार द्वारा स्माल फाइनेंस बैंक को लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए है उनकी उपलब्धि राशि रू 1894.54 करोड़ की उपलब्धि है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: निजी एवं स्माल फ़ाईनेन्स बैंकों द्वारा की गयी अच्छी प्रगति के कारण लक्ष्य प्राप्ति हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उक्त योजनांतर्गत अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। **(कार्यवाही : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक)**

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में दिसंबर 2019 तक 23,934 इकाइयों को राशि रू 312 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में दिसंबर 2019 तक 3111 इकाइयों को 33 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में दिसंबर 2019 तक केवल 9,125 इकाइयों को राशि रू 177 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं 1,394 इकाइयों के राशि रू 46.20 करोड़ के ब्याज अनुदान के प्रकरण लंबित है।

HUDCO से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में दिसंबर 2019 तक केवल 1218 इकाइयों को राशि रू 17.72 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है।

एसएलबीसी राजस्थान की टिप्पणी : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को पात्रतानुसार समस्त आवेदकों को लाभान्वित करने की कार्यवाही हेतु समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध है।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

Dashboard to monitor the saturation under the Kisan Credit Card (KCC) Scheme & Campaign for saturation of all PM-KISAN beneficiaries with KCC

संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को संबोधित पत्रांक 1-20/2018- credit.I (Part) दिनांक 06.02.2020 के माध्यम से सूचित किया है कि सभी पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी प्रदान करने हेतु अभियान चलाया गया है जिसके तहत मिशन मोड में कार्य कर समस्त पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी ऋण उपलब्ध करवाया जावेगा।

इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा पत्रांक JZ/SLBC/2019-20/1880 dated 07.02.2020 द्वारा समस्त बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों को इस बाबत निर्देशित किया गया है। दिनांक 19.03.2020 तक पीएम किसान के लाभार्थियों को राज्य में कुल 4,49,836 केसीसी ऋण आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 3,30,348 लोगों को केसीसी ऋण स्वीकृत किए गए।

दि. 28.02.2020 से विभिन्न बैंकों की शाखाओं ने कृषि ऋण आवेदन पत्र राशि रू लगभग 300 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए है लेकिन राको रोड़ा एक्ट की धारा 6(1) के तहत लंबित है। बैंक के पक्ष में कृषि भूमि के रहन करने में आ रही परेशानियों के चलते पात्र किसानों को कृषि ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा है एवं बैंक शाखाओं द्वारा यह लक्ष्य पूर्ण करना एवं भारत सरकार द्वारा चलाये गए केसीसी के 100% संतृप्ति अभियान में पूर्ण रूप से योगदान दिया जाना संभव नही हो पा रहा है। उपरोक्त संदर्भ में एसएलबीसी द्वारा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र लिख कर आग्रह किया गया है कि समस्त जिलों के संबन्धित जिला कलेक्टर/राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करें कि कृषक को ऋण प्रदान करने हेतु बैंक के पक्ष में भूमि रहन करने के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें एवं भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के चलते बैंक के पक्ष में भूमि रहन करने के नए प्रकरणों को अनावश्यक लंबित ना करें।

जिन किसानों के पास खेतीयोग्य भूमि है लेकिन केसीसी ऋण हेतु भूमि पर रहन दर्ज नहीं है, उनकी जानकारी अग्रणी जिला प्रबन्धक को उपलब्ध करवाई जाये जिससे बैंकों द्वारा शेष रहे किसानों से संपर्क कर उन्हे केसीसी ऋण सुविधा प्रदान की जा सके।

राज्य के विभिन्न जिलों को प्रदत्त कुल 21,39,400 किसानों के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 29.02.2020 तक 10,85,142 किसानों को केसीसी ऋण प्रदान किया जा चुका है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: उक्त अभियान के तहत प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं है एवं धीमी प्रगति का मुख्य कारण भूमि रिकार्ड के डिजिटाइजेशन के चलते बैंकों के पक्ष में भूमि रहन दर्ज करवाने में परेशानी आ रही है। भूमि रिकार्ड के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा मैनुअल रहन दर्ज करने की अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

नाबार्ड की टिप्पणी: उक्त अभियान को लोकप्रिय बनाने हेतु डीडीएम, नाबार्ड द्वारा उनके जिलों में अग्रणी जिला प्रबन्धकों एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रेस वीडियो कोन्फ्रेंस आयोजित की गयी।

एसएलबीसी राजस्थान की टिप्पणी : उक्त अभियान के तहत हुई प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट संबन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं पीएमएफ़बीवाई पोर्टल पर दैनिक रूप से अद्यतन करने हेतु समस्त शाखाओं को निर्देशित करें। ताकि उक्त रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)</u>

पीएमएफ़बीवाई पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार रबी 2019-20 के तहत 38.16 लाख बीमा पॉलिसी जारी की गयी हैं. जिनका कुल बीमित क्षेत्रफल 40.35 लाख हेक्टेयर, कुल बीमा राशि रु 17962.73 करोड़ एवं किसान द्वारा वहन की गयी प्रीमियम राशि रु 338.09 करोड़ है.

उन्होने बताया कि पीएमएफ़बीवाई योजनांतर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों से संबन्धित कई अनसुलझे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने के लिए अनेक बैठकें की जा चुकी है लेकिन फसल बीमा योजना से जुड़े मुद्दों पर आज तक निर्णय नहीं हो पाया है. उनमें से कुछ मुख्य मुद्दे शीघ्रता से सुलझाए जाने अतिआवश्यक हैं:-

- निम्न कारणों से पीएमएफ़बीवाई पोर्टल पर खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 का डेटा अपलोड नहीं किया जा सका है:-
  - आधार कार्ड मिसमैच अथवा आधार कार्ड की अनुपलब्धता
  - गांवों का डेटा एवं आधार कार्ड का डेटा पीएमएफबीवाई पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जाना

- एसएलबीसी द्वारा समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध किया गया कि उक्त कारणों से पोर्टल पर अद्यतित नही किए जा सके किसानों का डेटा एसएलबीसी को प्रेषित करावें लेकिन आज दिनांक तक बैंक ऑफ बड़ौदा, बीआरकेजीबी एवं एक्सिस बैंक के अतिरिक्त किसी भी बैंक का डेटा प्राप्त नहीं हुआ है।

- बीमा कंपनी द्वारा फसल दावा राशि सीधे किसानों के खाते में जमा करवाने के बजाय शाखा के खाते में हस्तांतरित की जा रही है.
- बैंक द्वारा बीमा कंपनियों को प्रेषित प्रीमियम राशि पर 4% सर्विस चार्जेज़ का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
- टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2018 का किसानों का प्रीमियम राज्य सरकार की अनुमति के बिना अस्वीकार कर दिया है. दिनांक 02.04.2019 को आयोजित बैठक में आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार द्वारा टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त प्रीमियम राशि स्वीकार करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आज दिनांक तक प्रीमियम स्वीकार नहीं किया गया.

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: टाटा एआईजी से संबन्धित मुद्दों को राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप कर सुलझाया जाना चाहिए एवं डेटा अपलोड से संबन्धित अन्य परेशानियों का समाधान भी जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

दिनांक 02.12.2019 को आयोजित राज्य बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु (ATR)
लगभग 50,000 किसानों का डेटा आधार मिसमैच एवं गाँव का डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है। साथ ही बताया कि 22 बैंक शाखाओं द्वारा ऋणी कृषकों का प्रीमियम तकनीकी कारणों से बीमा कंपनियों के पास कट ऑफ डेट निकलने के बाद जमा करवाया गया है। **डॉ. ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार** ने उक्त किसानों एवं गांवों की सूची उनके विभाग को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जिससे पोर्टल दुबारा चालू करवाकर एवं कृषि पर्यवेक्षकों की सहायता से आधार मैच करवाकर उक्त समस्या का समाधान किया जाने का आश्वासन प्रदान किया।

वर्तमान स्थिति - बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2019 के तहत कुल 48,682 कृषकों के आंकड़े पोर्टल पर अद्यतन नहीं कर पाए है जिसमें से 40,498 कृषकों के आधार मिसमैच एवं 8,184 कृषकों के विलेज मिसींग के कारण आंकड़े पोर्टल पर अद्यतन नहीं कर पाए है।

Revamp of "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)" and "Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS)" from Kharif 2020.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि विभाग, भारत सरकार ने पत्रांक 13015/02/2015-Credit-II के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) में सुधार से सूचित किया है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- उक्त योजनाओं के तहत समस्त किसानों (ऋणी/ गैर ऋणी) का स्वैच्छिक नामांकन

- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को विकल्प दिया गया है कि जिले के फसल संयोजन के लिए स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स अथवा Notional Average Yield (NAY) को चुना जाये। जिन फसलों के लिए एमएसपी घोषित नहीं की गयी है उनके लिए फार्म गेट क़ीमत पर विचार किया जावेगा।
- तीन वर्ष के लिए बीमा कंपनियों को व्यवसाय का आवंटन
- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त जोखिम कवर/ सुविधाओं यथा बुवाई, स्थानीय आपदा, मौसम प्रतिकूलता एवं फसल नुकसान इत्यादि में लचीलापन प्रदान किया गया है।
- स्मार्ट सैंपलिंग जैसे प्रौद्योगिकी समाधान एवं सीसीई (पीएमएफ़बीवाई) संचालन में अपनाई जाने वाली सीसीई की संख्या का अनुकूलन।

Doubling of Farmers Income by 2022

केंद्रीय बजट 2016-17 में भारत सरकार ने किसानों की आय को दुगुना करने की घोषणा की थी। इस संबंध में आरबीआई ने अग्रणी बैंकों को निम्नानुसार निर्देशित किया है:-

- बैंकों द्वारा नाबार्ड के साथ मिलकर संभावित लिंक योजनाओं (PLPs) एवं वार्षिक साख योजनाओं को ध्यान में रख कार्य किया जावे।
- एसएलबीसी, डीसीसी, डीएलआरसी एवं बीएलबीसी की बैठकों में लीड बैंक योजना के तहत नियमित एजेंडा के रूप में “2022 तक किसानों की आय दुगुना करना” शामिल किया जावे।
- प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा हेतु नाबार्ड द्वारा प्रदत्त मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है।

किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के लिए नाबार्ड द्वारा बताए गए विभिन्न बेंचमार्क तैयार किए गए है जिसमें दो इंडिकेटर यथा Benchmark Parameter एवं Growth Parameter है एवं उक्त बेंचमार्क नाबार्ड ने पत्रांक NB.CPD.GCD./1380-1398GLC/2019-20 दिनांक 31.12.2019 से समस्त बैंकों, अग्रणी जिला बैंकों एवं एसएलबीसी को 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए बेंचमार्क विकसित करने हेतु निर्देशित किया जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:-

- संकेतक- बेंचमार्क पैरामीटर एवं ग्रोथ पैरामीटर
- बेंचमार्क पैरामीटर में किसानों का कवरेज, लघु अवधि के लिए अल्पकालिक ऋण और सावधि ऋण, सीमांत और पट्टेदार किसान और फसल बीमा के तहत कवरेज का विस्तार शामिल है।
- ग्रोथ पैरामीटर में सम्बद्ध गतिविधियों के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट/ वर्किंग कैपिटल, कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण, फसल बीमा और बाजार विकास/ लिंकेज शामिल हैं।

एसएलबीसी द्वारा उक्त बेंचमार्क समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं समस्त सदस्य बैंकों को निर्देशित कर दिया गया है एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों को डीएलसीसी/डीएलआरसी बैठकों में समीक्षा करने हेतु भी निर्देशित किया है.

एसएलबीसी राजस्थान की टिप्पणी : किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के कार्यबिन्दु पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उप समिति (कृषि से संबन्धित योजनाओं) की बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। उप समिति में निम्न सुझाव दिये गए:-

- किसानों को नियमित कृषि गतिविधियों के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रों जैसे डेयरी, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि हेतु प्रेरित करें।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी योजनाओं यथा डीईडीएस, कृषि व्यवसाय, एग्री क्लीनिक एवं एएमआई योजना इत्यादि।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को वर्तमान स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स के अनुसार ऋण प्रदान किया जावे।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को पशुपालन एवं मत्स्य पालन की गतिविधियों हेतु ऋण प्रदान किया जावे।

<u>कृषि ऋण रहन पोर्टल</u>

राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने पत्रांक फा/IT/SCR/05/2018/336 दिनांक 04/07/2019 द्वारा सूचित किया है कि किसानो के लिए कृषि ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए "कृषि ऋण रहन पोर्टल" विकसित किया है।

राजस्थान राज्य में कृषि ऋण रहन पोर्टल हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झुंझुनु जिले को चिन्हित किया गया है।

राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर व सीकर जिले की ऑनलाईन हो चुकी तहसीलों में शीघ्र ही "कृषि ऋण रहन पोर्टल" प्रारम्भ करने जा रहा है|

आयुक्त, भू प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र क्र. फा/आई.टी./भूप्र आ/6/2019/310 दि. 31.01.2020 व क्र. फा/आई.टी./भूप्र आ/6/2019/135 दि. 06.03.2020 के माध्यम से जयपुर व सीकर जिले की विभिन्न तहसीलों में स्थित बैंको की शाखाओं को कृषि ऋण रहन पोर्टल के प्रशिक्षण हेतु दि. 04.02.2020 से 06.02.2020 तथा 11.03.2020 से 18.03.2020 निर्देशित किया है|

एसएलबीसी ने सभी बैंको से आग्रह किया कि "कृषि ऋण रहन पोर्टल" को अपने बैंक के CBS सिस्टम में "Whitelist" करवाना सुनिश्चित करे व राज्य स्तर पर Admin ID व Branch Master भू प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवाएँ|

आयुक्त, भू प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र क्र. फा/आई.टी./भूप्रआ/6/2019/150 दि. 20.03.2020 के माध्यम से राज्यस्तर के बैंक अधिकारियों की SSO ID उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है| जिससे राज्यस्तर Rajmaster Portal पर उपलब्ध बैंक मास्टर डेटाबेस को आवश्यकतानुसार बैंक के स्तर पर ही अधतन (Review, Add, Modify & Delete) किया जा सके|

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त जिलों में प्राथमिकता से कृषि ऋण रहन पोर्टल को लागू करने हेतु अनुरोध है ।

(कार्यवाही : सूचना, प्रौद्योगिकी, एवं संचार विभाग, रा.स. तथा राजस्व विभाग, रा.स.)

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

बैंकों द्वारा वर्ष 2019-20 में दिसंबर तिमाही तक राज्य में 10,402 छात्रों को राशि रू 332.51 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें कुल 48,459 छात्रों पर बकाया राशि रू 1,968.72 करोड़ है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 3,725 खातों में रु 149.02 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: समस्त पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जावे।

एजेंडा क्रमांक- 6

CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub-Committee of DCC (SCC)

राज्य के समस्त जिलों का साख जमा अनुपात निम्नानुसार है:

100% से अधिक 8 जिलों में,	71%-100% 13 जिलों में,
61%-70% 5 जिलों में,	51%-60% 5 जिलों में,
41%-50% 2 जिले में	40% से कम शून्य जिले में है.

राज्य में दिनांक 31.12.2019 तक 60% से कम साख जमा अनुपात वाले बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक हैं। **(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक)**

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: जिन बैंकों का साख जमा अनुपात जिला डूंगरपुर, सिरोही, अजमेर, करौली, झुंझुनु, राजसमंद एवं उदयपुर जिले में 60% से कम है । उन बैंकों को आगामी वित्तीय वर्ष में साख जमा अनुपात बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनानी चाहिए। **(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)**

<u>NPA Position</u>

वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसंबर, 2019 तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 3,52,168 करोड़ है तथा कुल एनपीए ऋण राशि रू 15,340 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 4.36% है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 8.81%,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 3.91%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2.33% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 5.96% है.

मार्च 2019 में कुल एनपीए 3.63% था जो कि दिसंबर 2019 में बढ़कर 4.36% हो गया है. मार्च 2019 में कुल कृषि ऋण एनपीए 6.93% था जो कि दिसंबर 2019 में बढ़कर 8.81% हो गया है.

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: बैंकों का एनपीए स्तर बढ़ा है जो कि बैंकों के लिए चिंता का विषय है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि एनपीए स्तर को कम करने के लिए योजना बनाए

राज्य सरकार से अनुरोध किया कि अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि बैंक ऋणों की वसूली में बैंकों शाखाओं को सहायता प्रदान करें ।

<u>सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली</u>

राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 31.12.2019 तक कुल 694 प्रकरण राशि रू 251 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 578 मामले राशि रू 211 करोड़ के प्रकरण 60 दिन से अधिक समय से लंबित हैं एवं राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कुल 1,58,119 प्रकरण राशि रु 3,206 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 93,934 प्रकरण 1 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: सरफेसी एक्ट एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत वसूली के लिए बढ़ते हुए लंबित प्रकरणों पर चिंता व्यक्त की। राज्य सरकार के स्तर से राजस्व विभाग के अधिकारियों को सरफेसी एक्ट, 2002, एवं राको रोड़ा के तहत दर्ज मामलों के निस्तारण हेतु त्रैमासिक लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

दिनांक 02.12.2019 को आयोजित राज्य बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु (ATR)
बैकों के लिए तेजी से बढ़ता हुआ NPA चिंता का विषय है एवं सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में सरकार से वसूली में सहयोग की अपेक्षा की जाती है. राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के सभी ऋणों को राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में शामिल किया जाये ताकि बैंकों की वसूली में सुधार हो सके तथा आगे नये ऋण देने में उन्हे प्रोत्साहन मिल सके।

श्री संजय मल्होत्रा, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता मेँ दिनांक 16.12.2019 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति (बकाया बैंक ऋण की वसूली) की तृतीय बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक मेँ प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार ने अन्य दो- तीन राज्यों के पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट की प्रति उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किए।

वर्तमान स्थिति इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार ने निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को दो-तीन राज्यों के पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट की प्रति उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी : राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के ऋणों की वसूली के प्रकरण को शामिल करने के लिए आवश्यक संशोधन की कार्यवाही त्वरीत गति से करवाने के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध किया ताकि बैंकों को और अधिक ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

एजेंडा क्रमांक- 8

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)</u>

राज्य में कार्यरत 35 आरसेटी द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है. दिनांक 31.12.2019 तक कुल व्यवस्थापन दर 70.55% रहने से सूचित किया. उन्होने बताया कि राज्य में 21 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 2 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 7 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना है. शेष 5 आरसेटी के लिए भूमि आवंटन के प्रकरण लंबित है।

<u>R-SETI Building Construction</u>

सवाई माधोपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) : यू.आई.टी. सवाईमाधोपुर ने आरसेटी, सवाईमाधोपुर के लिए ग्राम जटवाड़ा खुर्द में 2500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की है. संभागीय आयुक्त, भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2018 को आयोजित बैठक में उक्त भूमि के निशुल्क आवंटन हेतु अनुशंसा की गयी. दिनांक 26.03.2019 को ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के साथ आयोजित की गयी बैठक में बताया गया कि उक्त भूमि पब्लिक पार्क एवं सड़क हेतु आरक्षित है अतः वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) : यूआईटी, अलवर द्वारा 2500 वर्ग मी. की भूमि पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित कर रु 56,56,400/- का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि यूआईटी, अलवर द्वारा कहा गया है कि रु 56,56,400/-, ले-आउट चार्ज एवं अन्य चार्ज माफ किए जाने पर ही इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जैसलमेर (भारतीय स्टेट बैंक) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि संयुक्त शासन सचिव तृतीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग से प्राप्त पत्र क्र.प.2(5)नविवि/जैसलमेर/2017 दिनांक 02.04.2018 के अनुसार आरसेटी जैसलमेर के भवन निर्माण हेतु नगर विकास न्यास जैसलमेर की अमर शहीद सागरमल

गोपा आवासीय योजना में ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित 2937 वर्ग गज भूमि निःशुल्क आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा आरसेटी निदेशक, जैसलमेर को लीज़ राशि के भुगतान हेतु डिमांड नोटिस भेजा गया है जिसमें भुगतान हेतु 2 विकल्प रखे गए हैं:-

1. 8 वर्ष तक रु 187821/- प्रति वर्ष अथवा
2. दिनांक 31.03.2019 तक एकमुश्त रु 15,02,568/-

भारतीय स्टेट बैंक ने उक्त राशि की छूट प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3) (5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश, जालौर महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

पाली (भारतीय स्टेट बैंक) : पूर्व में टेगोर नगर पाली में नगर परिषद, पाली द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) को 1000 वर्ग गज तक भूमि आरक्षित दर के 5 प्रतिशत दर पर आवंटित किए जाने की स्वीकृति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी थी, परंतु आरसेटी बिल्डिंग बनाने के लिए न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है. अतः नगर परिषद पाली को पुनः 26.02.2018 को आरसेटी पाली हेतु न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करने हेतु लिखा गया है. नगर परिषद पाली द्वारा मानपुरा भाकरी रोड पर एक बीघा 2.5 बिसवा भूमि बताई गयी है, जो कि 0.5 एकड़ से कम है. अतः आयुक्त नगर परिषद पाली को 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने हेतु पुनः निवेदन किया गया है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलक्टर पाली को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सिरोही (भारतीय स्टेट बैंक): सिरोही में गत 6 वर्षों से बैंक की भूमि पर आरसेटी कार्यरत थी जिसमें से 2 बीघा 8 बिसवा भूमि आरसेटी को निःशुल्क आवंटित की गयी थी. जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा उक्त भूमि की कीमत राशि रु. 8,59,320/- सरकार को जमा कराने हेतु भारतीय स्टेट बैंक को निर्देशित किया गया. उक्त राशि की माफी हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार को अनुरोध किया गया लेकिन जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पुनः उक्त राशि मय ब्याज 7 दिवस

के भीतर जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया. एसएलबीसी एवं एसबीआई द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से उक्त राशि माफ करने हेतु अनुरोध किया.

राज्य निदेशक, आरसेटी को निर्देशित किया कि ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से समन्वय कर उक्त जिलों के जिला कलेक्टर के साथ भूमि आवंटन से संबन्धित मुद्दों को सुलझाने हेतु वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएं जिसमें संबन्धित बैंकों एवं एसएलबीसी को आमंत्रित किया जावें।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से भूमि आवंटन के उक्त मुद्दों को जल्द सुलझाने का अनुरोध किया।

बैठक के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टिप्पणी : राज्य में 3 आरसेटी यथा अलवर, पाली एवं सवाई-माधोपुर के लिए निशुल्क/ नाम मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क राशि के भूमि आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकी है एवं 3 आरसेटी जहां पर भूमि आवंटन की जा चुकी है लेकिन आवंटन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा जिसके निस्तारण के लिए ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया। **(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)**

एसएलबीसी राजस्थान की टिप्पणी : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2010 में आरसेटी को निःशुल्क भूमि आवंटित करने के दिशा-निर्देश जारी किए है लेकिन लगभग 10 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी उपरोक्त आरसेटी को भूमि आवंटित नहीं हो पायी है । भूमि आवंटन नहीं होने की दशा में भारत सरकार द्वारा आरसेटी भवन निर्माण के लिए अनुदान राशि रू 1.00 करोड़ नहीं मिलेगी। अनुदान राशि प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2020 है।

ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं एसडीआर से अनुदान राशि प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2020 बढ़ाए जाने के लिए निवेदन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु अनुरोध है ।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं एसडीआर)

<u>वित्तीय साक्षरता केंद्र</u>

विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से दिसम्बर 2019 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 516 एवं पार्ट बी के लिए 1442 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा लोगों को बैंक के डिजिटल उत्पादों की जानकारी दी जावे।

एजेंडा क्रमांक- 9

अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन फसलों के Crop Season निर्धारण के संबंध में

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पत्रांक RBI/2015-16/101 DBR.No.BO.BC.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 01.07.2015 के माध्यम से एसएलबीसी को राज्य की प्रत्येक फसल के लिए फसल का मौसम (Crop Season) निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया है।

इस संबंध में दिनांक 05.02.2020 को एसएलबीसी की कृषि हेतु गठित उपसमिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार एवं समस्त सदस्य बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे. उक्त बैठक में Crop Season निर्धारण करने हेतु सभी हितग्राहियों द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी एवं चर्चा के पश्चात Crop Season का निर्धारण निम्नानुसार किया गया;

लघु अवधि की फसल हेतु - 12 महीने

दीर्घ अवधि अवधि फसल हेतु- 18 महीने

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 144 वीं बैठक COVID-19 महामारी के चलते circulation के माध्यम से आयोजित की गयी एवं बैठक हेतु आवश्यक agenda एवं PPT सभी को ई मेल के माध्यम से प्रेषित किये गये. Crop Season निर्धारण के संबंध में हमें दो टिप्पणी ई मेल से प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है;

भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त टिप्पणी: दिनांक 05.02.2020 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उपसमिति बैठक में हुए निर्णयानुसार एवं निकटतम राज्य यथा गुजरात एवं पंजाब राज्य में फसल अवधि के निर्धारण को देखते हुए उपरोक्त कार्यबिन्दु की पुष्टि करते है।

बैठक के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त टिप्पणी : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईआरएसी (IRAC) के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार लघु अवधि की फसल (Short Term Crop) एवं दीर्घ अवधि फसल (Long Term Crop) के लिए दिये गये ऋण क्रमशः दो फसल अवधि एवं एक फसल अवधि में मूलधन अथवा ब्याज अतिदेय होने की स्थिति में गैर निष्पादित आस्तियां (NPA) मानी जावेंगी।

(As per RBI guidelines for IRAC norms classification purpose, a loan granted for short duration crops & long duration crops will be treated as NPA, if the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons and one crop seasons respectively).

अत: राज्य के लिये एसएलबीसी की दिनांक 05.02.2020 को आयोजित कृषि हेतु गठित उपसमिति की बैठक में निर्धारित Crop Season को एसएलबीसी की 144 वीं बैठक (जो Circulation के माध्यम से हुई) में अनुमोदित किया जाता है.

दिनांक 02.12.2019 को आयोजित राज्य बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु (ATR)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यह प्रकरण काफी लंबे समय से लंबित है. इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना ने सूचित किया कि उक्त प्रकरण को उनके विभाग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किया गया लेकिन अपेक्षित कार्यवाही प्रतीक्षित है।

वर्तमान स्थिति - संयुक्त शासन सचिव, आयोजना ने सूचित किया कि उक्त प्रकरण को उनके विभाग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अपेक्षित कार्यवाही प्रतीक्षित है।

दिनांक 02.12.2019 को आयोजित राज्य बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु (ATR)

एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक में बैंकों से राज्य प्रमुख एवं राजस्थान सरकार से राज्य प्रमुख अथवा शासन सचिव/ आयुक्त स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है. एसएलबीसी की उप समिति बैठक में बैंकों से सहायक महाप्रबंधक एवं राजस्थान सरकार से संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है.

वर्तमान स्थिति - समस्त हितधारकों ने अनुपालनार्थ हेतु नोट किए जाने से सूचित किया

बैठक के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टिप्पणी : बैंकों अथवा बैंक ग्राहकों के साथ धोखा धड़ी के प्रकरणों में वित्तीय हानि होने की दशा में भी बैंक शाखाओं को स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अथवा पुलिस द्वारा शिकायतें दर्ज नहीं की जाती है । अतः राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि समस्त पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी करें कि बैंकों अथवा बैंक ग्राहकों के साथ होने वाली धोखा धड़ी के प्रकरणों में शिकायत दर्ज करे एवं अनावश्यक हतोत्साहित नहीं करें।

(कार्यवाही : आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

बैठक के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टिप्पणी : भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार एसएलबीसी वेबसाइट पर डेटा प्रवाह के लिए मानकीकृत प्रणाली का विकास एसएलबीसी राजस्थान द्वारा तैयार कर लिया गया है । इस संबंध में समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध है कि एसएलबीसी वेबसाइट पर मानकीकृत प्रणाली के तहत डेटा प्रवाह के लिए प्रयोग हेतु एसएलबीसी राजस्थान को डेटा उपलब्ध करावें ताकि डेटा की शुद्धता की जांच की जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चयनित एसएलबीसी संयोजक बैंकों एवं नाबार्ड के कार्य समूह द्वारा एसएलबीसी द्वारा मौजूदा डेटा के प्रकार एवं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हेतु उपयोग में लाये जा रहे प्रारूपों का अध्ययन कर डेटामॉडल को एकरूप करने के लिए पूरे भारत वर्ष में डेटा

प्रवाह की एक ही मानकीकृत प्रणाली अपनाने के लिए विस्तृत चर्चा कर डेटामॉडल सुझाया है जिसे एसएलबीसी द्वारा डेटा संग्रहण एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानी हेतु adopt किया गया है। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त डेटा प्रवाह प्रणाली को वर्ष 2020-21 में लागू किया जावे।

साथ ही राज्य सरकार से अनुरोध किया कि कृषि पर आईडबल्यूजी द्वारा की गयी अनुशंसाओं को लागू किया जावे।

बैठक के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टिप्पणी : भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वर्तमान में एसएलबीसी वेबसाइट पर त्रैमास की समाप्ति के 15 दिवस के अंदर बैक से संबन्धित आंकड़े अद्यतन करना सुनिश्चित करने हेतु समस्त सदस्य बैंकों को निर्देशित किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की टिप्पणी : राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 144वीं बैठक के कार्यबिन्दु समस्त हितग्राहियों को कार्यसूची बिन्दु प्रसारित कर (Agenda by Circulation) बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समस्त हितग्राहियों यथा केंद्र व राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सभी बैंकर्स का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक दिनांक 30 मार्च, 2020 को सम्पन्न होने की घोषणा करते है।

****